आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0-330/2023

वकील साह

बनाम्

संदेश कुमार साह

आदेश

07.06.24

प्रस्तुत अपीलवाद भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 43/2023-24, संदेश कुमार साह बनाम वकील साह में दिनांक 05.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत खाता सं0-60, खेसरा सं0-01, मौजा-चकपीर, थाना-सहाजितपुर, जिला-सारण का रकबा 1-1-10 धूर जमीन उनकी खतियानी भूमि है। उक्त भूमि पर विपक्षी द्वारा बैनामा के फर्जी कागजात के आधार पर दावा किया जा रहा है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता के याचिका एवं निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा खाता सं0-60, खेसरा सं0-01 से संबंधित है, जबकि विपक्षी का दावा खाता सं0-68, खेसरा सं0-02 से संबंधित है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के मध्य खतियानी भूमि के बैनामा को लेकर विवाद है, जिसका निष्पादन राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

अपीलकर्त्ता यदि चाहे तो सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner